

Om HSLPM)
1571.
Adeell/Gary
A-7C कमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 13.10.2018

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2018 के द्वारा 21 माह का सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्पेशलाइजेशन पूर्ण करने के पश्चात 232 चिकित्सकों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। उक्त चिकित्सकों में से निम्न चिकित्सकों द्वारा राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की है:-

1. डा. रवि टण्डन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
2. डा. मनोज शर्मा, चिकित्सा अधिकारी
3. डा. विकास, चिकित्सा अधिकारी
4. डा. जितेन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी
5. डा. संजीव कुल्हरी, चिकित्सा अधिकारी
6. डा. रवि यादव, चिकित्सा अधिकारी
7. डा. चन्द्रप्रकाश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी
8. डा. लक्ष्मी नारायण मीणा, चिकित्सा अधिकारी
9. डा. रमेश कुमार भारतीय, चिकित्सा अधिकारी
10. डा. चन्द्रा शैखावत, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
11. डा. देवेन्द्र कुमार बंसल, चिकित्सा अधिकारी

उक्त 11 चिकित्सकों को अपने नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश कमांक प. 3(1)(9)I/Elect/2018/6965 दिनांक 08.10.2018 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग की आई. डी. कमांक 3548/पीएस/जीएडी/2018 दिनांक 13.10.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

41.10
(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
- 5- निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन. एच. एम.
- 6- निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, स्वास्थ्य भवन।
- 8- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 9- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान
- 10- समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
- 11- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
- 12- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 13- संबंधित अधिकारी
- 14- कम्प्यूटर सेल
- 15- निजी /रक्षित पत्रावली

3
(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प0 2/2018/ ९९३

दिनांक : 15/10/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 7 प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., स्वास्थ्य भवन।
- 8 निजी सहायक, समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 9 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज।
- 10 समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- 11 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी।
- 12 संबंधित चिकित्सक।
- 13 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट/ई-मेल आईडी पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
- 14 रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।